भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 338
दिनांक 03.02.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

वीजा के लिए अपॉइन्टमेंट लेने में कठिनाइयाँ

338. श्रीमती शर्मिष्ठा सेठीः
श्री राम मोहन नायडू किंजरापु:

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि अपॉइन्टमेंट नहीं मिलने के कारण छात्रों को संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्च शिक्षा के लिए वीजा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वीजा के लिए अपॉइन्टमेंट नहीं मिलने के कारण ऐसे छात्र प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने का अवसर खो रहे हैं;

(ग) क्या मंत्रालय के पास ऐसा कोई पोर्टल या तंत्र है जिससे छात्रों को अपॉइन्टमेंट लेने में कठिनाइयों का सामना करने की स्थिति में संपर्क किया जा सके;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ड.) क्या मंत्रालय ने विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए वीजा प्राप्त करने में कठिनाई के मुद्दे को अमरीकी सरकार के साथ उठाया है; और

(च) यदि हाँ, तो इस संबंध में उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[श्री वी. मुरलीधरन]

(क) से (च) मंत्रालय को पिछले दो वर्षों में, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान यूएसए के लिए वीजा प्राप्त करने में भारतीय छात्रों के समक्ष आने वाली चुनौतियों की जानकारी है। यह मामला मंत्रिस्तरीय बैठकों सहित अमेरिकी सरकार के साथ उच्च स्तर पर उठाया गया है।

वीज़ा प्रदान करना किसी देश की सरकार का संप्रभु निर्णय और विशेषाधिकार है, जो इस कार्य को उनकी प्रक्रियाओं के आधार पर उस देश के मिशनों के माध्यम से करती हैं।

*****